प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील (प्रतिकर) सं. 118/2022

{दावा प्रकरण सं. 30/2020 में अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, खैरागढ़, जिला& राजनंदगांव द्वारा पारित 11-11-2021 दिनांकित अधिनिर्णय से उद्भूत}

भोजराम चंदेल, पिता- स्वर्गीय बलराम चंदेल, आयु- लगभग 39 वर्ष, निवासी- भोरमपुरकला, पोस्ट- कुसमी अटरिया, थाना- खैरागढ़, जिला- राजनंदगांव, छत्तीसगढ़।

(दावाकर्ता)

..... अपीलार्थी

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. जितेंद्र कुमार वर्मा, पिता- सियाराम वर्मा, निवासी- भोरमपुरकला, पोस्ट- कुसमी अटरिया, थाना- खैरागढ़, जिला- राजनंदगांव, छत्तीसगढ़।

(वाहन का स्वामी व चालक)

2. शाखा प्रबंधक, आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वाणिज्य भवन, भूतल, देवेंद्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।

(बीमाकर्ता)

..... प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री पी. आर. पाटनकर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री शोभित मिश्रा, अधिवक्ता

एकल पीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

बोर्ड पर निर्णय

13/11/2025

1. अपीलार्थी/दावाकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, '1988 का अधिनियम') की धारा 173 के तहत यह अपील उस आक्षेपित अधिनिर्णय पर सवाल उठाते हुए प्रस्तुत की है जिसके द्वारा 1988 के अधिनियम की धारा 166 के तहत प्रस्तुत प्रतिकर के अनुदान के लिए प्रस्तुत उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. वाहन स्वामी-सह-चालक जितेंद्र कुमार वर्मा-प्रत्यर्थी स. 1 द्वारा संचालित मोटरसाइकिल के कारण हुई एक दुर्घटना में, अपीलार्थी/आहत व्यक्ति को स्थायी रूप से अक्षमता का सामना करना पड़ा क्योंकि वह मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ था और एक अज्ञात वाहन ट्रक ने स्वामी-सह-चालक जितेंद्र कुमार वर्मा- प्रत्यर्थी स. 1 द्वारा संचालित मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और प्रत्यर्थी स. 2 द्वारा बीमा कंपनी में बीमा कराया गया। दावा अधिकरण ने यह मानते हुए आवेदन को खारिज कर दिया है कि यह एक 'हिट एंड रन' प्रकरण है अतः 1988 के अधिनियम की धारा 166 के तहत आवेदन पोषणीय नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी/दावाकर्ता/आहत व्यक्ति की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी. आर. पाटनकर निवेदन करते हैं कि **टी. ओ. एंटनी बनाम कार्वर्नन व अन्य**[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में दावा याचिका पोषणीय है क्योंकि दुर्घटना वाहन चलाने वाले वाहन के स्वामी के कारण हुई थी, जिसका बीमा बीमा कंपनी द्वारा किया गया था, अतः अपील स्वीकार की जाए और मामले को विधि के अनुसार निर्णयन हेतु दावा अधिकरण को लौटाया जाए।

1 2008 AIR SCW 2045 : (2008) 3 SCC 748

4. बीमा कंपनी/प्रतिवादी स. 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शोभित मिश्रा अपील का विरोध करते हैं और आक्षेपित अधिनिर्णय का समर्थन करते हैं।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और ऊपरोक्त तर्क- वितर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का भी अत्यंत सावधानी के साथ परिशीलन किया है।

6. इस प्रकरण में एक अज्ञात वाहन तथा पंजीयन सं. **CG**-08/**AM**-7639 वाला वाहन- दोनों सम्मिलित थे और ऐसे में यह समग्र लापरवाही का प्रकीरण है जिस पर टी. एन्टोनी (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतियों द्वारा समग्र लापरवाही तथा अंशदायी लापरवाही में भेद को स्पष्ट करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की गई है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "6. 'समग्र लापरवाही' दो या दो से अधिक व्यक्तियों की लापरवाही को संदर्भित करती है। जहां दो या दो से अधिक गलत करने वालों की लापरवाही के परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति आहत हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति उन गलत करने वालों की समग्र लापरवाही के कारण आहत हुआ। ऐसे प्रकरण में, प्रत्येक गलत करने वाला, पूरे नुकसान के भुगतान के लिए आहत व्यक्ति के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होता है और आहत व्यक्ति के पास उन सभी या उनमें से किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का विकल्प होता है। ऐसे प्रकरण में, आहत को प्रत्येक गलत करने वाले के उत्तरदायित्व की सीमा को अलग से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, न ही न्यायालय के लिए प्रत्येक गलत करने वाले के दायित्व की सीमा को अलग से निर्धारित करना आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर जहां किसी व्यक्ति को ? आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की लापरवाही के कारण और आंशिक रूप

से स्वयं की लापरवाही के परिणामस्वरूप चोट लगती है, तो आहत व्यक्ति की लापरवाही जो दुर्घटना में योगदान देती है, उसे उसकी अंशदायी लापरवाही कहा जाता है। जहाँ आहत किसी लापरवाही का दोषी है, वहाँ नुकसान के लिए उसका दावा केवल उसकी लापरवाही के कारण विफल नहीं होता है, परन्तु चोटों के संबंध में उसके द्वारा वसूल किए जाने वाले हर्जाने को उसकी अंशदायी लापरवाही के अनुपात में कम कर दिया जाता है।

7. अतः जब दो वाहन दुर्घटना में सम्मिलित होते हैं, और एक चालक दूसरे चालक से लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रतिकर का दावा करता है, और दूसरा चालक लापरवाही से इनकार करता है या दावा करता है कि आहत दावाकर्ता खुद लापरवाही कर रहा था, तो यह विचार आवश्यक हो जाता है कि क्या आहत दावेदार लापरवाही कर रहा था और यदि ऐसा है, तो क्या वह दुर्घटना के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से उत्तरदायी था और उसकी उत्तरदायित्व की सीमा, वह उसकी अंशदायी लापरवाही है। अतः जहां आहत स्वयं आंशिक रूप से उत्तरदायी है, वहां 'समग्र लापरवाही' का सिद्धांत लागू नहीं होगा और न ही कोई स्वचालित निष्कर्ष हो सकता है कि लापरवाही 50:50 जैसा कि इस प्रकरण में माना गया है। अधिकरण को अपीलार्थी की अंशदायी लापरवाही की सीमा की जांच करनी चाहिए थी और इस तरह समग्र लापरवाही और अंशदायी लापरवाही के मध्य भ्रम से बचना चाहिए था। उच्च न्यायालय उक्त त्रुटि को सुधारने में विफल रहा है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. प्रकरण के तथ्यों पर आते हुए, स्वीकृत तौर पर, वर्तमान अपीलार्थी घटना में सम्मिलित दोनों वाहनों में से एक पर पीछे बैठा हुआ था तथा **टी. ओ. एन्टोनी** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान प्रकरण समग्र लापरवाही का प्रकरण होगा, न कि अंशदायी लापरवाही का। वर्तमान दावाकर्ता/ आहत व्यक्ति के पास दोनों में से किसी भी वाहन के स्वामी व चालक से संपूर्ण प्रतिकर का दावा करने का विकल्प है तथा वर्तमान आहत व्यक्ति/दावाकर्ता ने पंजीयन सं. **CG**-08/**AM**-7639 वाली मोटरसाइकिल के स्वामी-सह-चालक अर्थात् प्रत्यर्थी स. 1 तथा उसके बीमाकर्ता अर्थात् बीमा कंपनी/प्रत्यर्थी स. 2 से प्रतिकर का दावा करने का विकल्प चुना है जिसे दावा अधिकरण द्वारा षणीयता न होने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मामले के उस दृष्टिकोण में, आक्षेपित अधिनिर्णय को अपास्त किया जाता है और मामले के विधि के अनुसार सुनवाई और निराकरण हेतु दावा अधिकरण को लौटाया जाता है।

9. अपील उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है, जिसमें वाद-व्यय के विषय में कोई आदेश नहीं है।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur